

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

शिविरा/प्रारं/शिक्षक-संस्था/एफ-2/प्र.नि-निर्देश/2018

दिनांक- 21.01.2019

जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा,
समस्त

अत्यावश्यक/मेल

विषय:- शैक्षिक व गैर शैक्षिक कार्यों में प्रतिनियुक्त अध्यापकों की सूचना भिजवाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके जिले में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में सूचना निम्नानुसार प्रपत्रों में दो दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संपादित की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

प्रपत्र-अ


गैर शैक्षिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति

क्र. सं.	जिले का नाम (ब्लॉक वार)	अध्यापक का नाम मय मूल पदस्थापन स्थान	आदेश व दिनांक जिससे प्रतिनियुक्ति पर है।	प्रतिनियुक्त स्थान/विभाग
----------	----------------------------	---	---	-----------------------------

प्रपत्र-ब

शैक्षिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति


क्र. सं.	जिले का नाम (ब्लॉक वार)	अध्यापक का नाम मय मूल पदस्थापन स्थान	आदेश व दिनांक जिससे प्रतिनियुक्ति पर है।	प्रतिनियुक्त स्थान/विभाग
----------	----------------------------	---	---	-----------------------------


निदेशक,

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज
(प्रारं.शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार सूचना समय पर भिजवाये जाने हेतु आवश्यक प्रबोधन करावें।


निदेशक,

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज
(प्रारं.शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर